प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक-15 सितम्बर, 2015

विषय- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-2016 में अनुपूरक मांग के माध्यम से हुई बजट व्यवस्था की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-39210/बजट-1, दिनांक- 02.09.2015 के संदर्भ एवं वित्त आय-व्यय अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2015/बी-2-2580/दस-2015-244/2015, दिनांक 26.08.2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में कारागारों में स्थापित उद्योगों में निर्मित सामग्रियों के मूल्य के भुगतान के लिए लम्बित दायित्वों के समायोजन हेतु अनुदान संख्या-25 गृह(कारागार) के राजस्व लेखापक्ष में रू0 68.89 करोड़ तथा प्रदेश की कारागारों में सामग्री एवं सम्पूर्ति मद के अन्तर्गत संचालित उद्योगों एवं कृषि कार्य हेतु रू0 1.00 करोड़ की बजट व्यवस्था अनुपूरक मांग के माध्यम से कराई गयी है, जिसका लेखा-शीर्षकवार विवरण निम्नवत है:-

2056-जेलें-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-मुख्य-43-सामाग्री एवं सम्पूर्ति	रू0-68,89,00,000/-
2056-जेलें-102-जेल उत्पाद-03-समस्त कारागार-43-सामग्री समपूर्ति	रू0-1,00,00,000/-
योग-	**रू0-69,89,00,000/-**

2- उक्त धनराशि वचनबद्व/आवश्यक कार्यो पर व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) जिन प्रकरणों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैंड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि का आवंटन एंव आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अधीनस्थ कार्यालयों को मासिक उपयोग के आधार पर धनराशि आवंटित् की जाय, ताकि उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाना सम्भव हो सके।

(3) आवंटन आदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 को आवश्यक रूप से पृष्ठांकित किये जांय। विशेष परिस्थिति में यदि अधिक धनराशि के आवंटन की आवश्यकता है तो समुचित कारण बताते हुए शासन की अनुमति प्राप्त करके धनराशि का आवंटन किया जाय।

(4) शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) आहरण वास्ताविकता के आधार पर किया जायेगा। किसी भी दशा में अग्रिम आहरण नहीं किया जायेगा।

(6) कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-213/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 जो आपको भी पृष्ठांकित है, में प्रदत्त निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) सामग्री सम्पूर्ति तथा जेल उत्पाद व्यय मद में स्वीकृत धनराशि का उपयोग पूर्व में लम्बित दायित्वों का यथासम्भव भुगतान इस प्रकार प्राथमिकता का निर्धारण करते हुए कि वर्तमान वित्तीय वर्ष की आवश्यकतायें भी यथासम्भव मीटआउट हो जायें, किया जायेगा।

(8) विभिन्न योजनाओं और सेवाओं की वित्तीय स्वीकृतियाँ यथासंभव एक बार में ही जारी की जांय तथा वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एक मुश्त आहरण की अनुमति न दी जाय। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग का स्वीकृति आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जाय।

(9) कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में 15 डिजिट कोड सहित लेखाशीर्ष आयोजनागत/आयोजनेत्तर/भारित और अनुदान संख्या का उल्लेख किया जायेगा।

(10) जारी की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष धनराशि को पी0एल0ए0/डिपाजिट खातों में जमा नहीं किया जायेगा।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत, गत पृष्ठ-1 की तालिका में उल्लिखित मदों के नामे डाला जायेगा एंव उपलब्ध बजट प्रावधन से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक- 30 मार्च, 2015 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव

संख्या-185/2015/1178(1)/22-4-15-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीत, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in